बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक........................./   पटना, दिनांक...........................

संoसंo–03/उoनिo/भवन निo/जिर्णo–04/18

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तिय वर्ष 2018–19 में जिला उद्योग केन्द्र, सिवान के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1,93,68,900.00 (एक करोड़ तिरान्वे लाख अड़सठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र के अनुमानित लागत की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के पत्रांक–2219/पी०डी०ए०, दिनांक–15.11.2018 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तिय वर्ष 2018–19 में जिला उद्योग केन्द्र, सिवान के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1,93,68,900.00 (एक करोड़ तिरान्वे लाख अड़सठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र के अनुमानित लागत की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, सिवान के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1,93,68,900.00 (एक करोड़ तिरान्वे लाख अरसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र अनुमानित लागत पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

(3) उपरोक्त जिला उद्योग केन्द्र, सिवान के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन ऐजेंसी के रूप में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को नामित किया गया है।

(4) उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औधोगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण अन्य आधारभूत संरचनाओ का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में आय व्ययक में उपबंधित राशि विकलीत होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष–2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

(5) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के PL Account–PLA–268 में उपलब्ध करायेंगे।

(6) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

(7) राशि की निकासी कोषागार फार्म सं0–46 पर की जायेगी।

(8) प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–संoसंo–03/उoनिo/भवन निर्माण/जिर्णo–04/18 के **पृष्ट–16/टि0** पर दिनांक–23.11.18 को प्राप्त है। जिसका **गै0स0प्रे0 संख्या–320/IDC**, दिनांक–23.11.2018 है।

(9) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–संoसंo–03/उoनिo/भवन निर्माण–02/17 के **पृष्ट–19/टि0** पर दिनांक–12.12.2018 को प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ट–02

(10) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक.........................
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन नि0/जिर्णो0–04/2018

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक.........................
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन नि0/जिर्णो0–04/2018

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4613 / पटना, दिनांक 18.12.18
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन नि0/जिर्णो0–04/2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.18
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(14)